यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेरीनाग** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तरखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेरीनाग** के माह दिसम्बर **2014** से दिसम्बर **2016** तक के लेखा अभिलोखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय संचान, एवं श्री रविशंकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.01.2017 से 30.01.2017 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ---------- सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक ------- तक सम्पादित की गई थी, जिसमें वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह दिसम्बर **2014** से दिसम्बर **2016** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** संलग्न (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाए)
2. **(अ)** विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति विम्नवत हैः

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+) ₹**	**बचत (-) ₹**
	स्थापना ₹	**गैर स्थापना ₹**	**आवंटन ₹**	**व्यय ₹**	**आवंटन ₹**	**व्यय ₹**		
2013-14	-	-	**244.11**	**244.04**	**5.66**	**5.60**	-	**0.13**
2014-15	-	-	**267.59**	**267.59**	**14.61**	**14.61**	-	-
2015-16	-	-	**273.78**	**273.78**	**9.70**	**9.43**	-	**0.27**

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्रापत् निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
शून्य					

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण आंकित किया जाय।

3. इकाई को बजट आवंटन (राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रैणी (जिस श्रणी के अन्तर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है।
(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)
4. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में ---------- (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देश के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा. केन्द्र, बेरीनाग (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो से अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 02/2016 एवं 08/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। ----- (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन----- (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।
5. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-III</u>

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय।

विदच निकीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II ''अ'' प्रस्तर संख्या	भाग-II ''ब'' प्रस्तर संख्या
विगत ले.प. मुख्य चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ के साथ निष्पादित होने के कारण इस इकाई की पृथक आख्या अप्राप्त।		

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्रापत कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुक्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जीयेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संखाय लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्ष दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-चार

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर (1) ₹ 1.40 लाख की निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर यथाशीघ्र उसकी नीलामी की जानी चाहिए। ताकि उक्त सामाग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेरीनाग के मासिक रिपोर्ट दिसम्बर 2016 की जांच में पाया गया कि इकाई के पास उपलब्ध कुल तीन वाहनों में से दो वाहन खराब हो और मात्र एक वाहन सड़क पर है यह भी पाया गया कि उक्त वाहनों को मृत भण्डार पंटिका में अंकित नहीं दिया गया हो।

आगे वाहनों की लाग बुक की जांच में पाया गया कि खराब हुए वाहन सं. यू.पी. 32 N 7255,-- माह जून 2007 से एवं वाहन सं. यू.ए. 05, 0953, एम्बुलेन्स माह अगस्त 2016 से खराब पड़े हो मृत भण्डार पंजिका में अंकित न होने के कारण न ही उपरोक्त वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किया गया और न ही उनकी नीलामी की गई। खराब होने के समय वाहनों का मूल्य क्रमशः ₹ 40,000/- एवं ₹ 1,00,000/- लाख था। उक्त दोनो वाहन ---- (जनवरी 2017) तक निष्प्रयोज्य स्थिति में खड़े है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने स्वीकार किया कि वाहनों से सम्बन्धित कोई भी अबिलेख इकाई के पास पलब्ध नही है। जिससे वाहनों को सम्पत्ति के रूप में अंकित किया जाता। और न ही उनके भौतिक सत्यापन की कोई व्यवस्था हो जिसके अभाव में वाहनों को न ही निष्प्रयोज्य घोषित किया गया और न ही इनकी नीलामी की जा सकी। इकाई की स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि हो जाती है।

अतः ₹ 1.40 लाख की निष्प्रयोज्य सामग्री को विगत सात वर्षो से अधिक समय से नीलामी न किये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-पाँच

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध करने हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रा.स्वा. केन्द्र, बेरीनाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आबार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

(ii) शून्य

(iii) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

(ii) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अदिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	डा. प्रेम फकलियाल, प्रभारी चिकित्सा अधिकार	

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेरीनाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
/लेखापरीक्षा अधिकारी (सा.क्षे.)